"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अप्रैल 2016— चैत्र 18, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कक्ष क्र. एस 2-21, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
   "13. जन सुनवाई-सामाजिक समाघात निर्धारण के प्रयोजन के लिए आयोजित जन सुनवाई का समुचित प्रचार-प्रसार, दो दैनिक समाचार पत्रों में किया जायेगा, जिसमें कम से कम एक, प्रभावित क्षेत्र स्थानीय भाषा में होगा."

2. नियम 16 एवं 17 में क्रमश: शब्द एवं अंक "नियम 11" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "नियम 15" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 4-28/Seven-1/2014. — The following draft of amendment in the Chhattisgarh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assesment, Consent and Public Hearing) Rules, 2016, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act, 2013 (30 of 2013), is hereby, published as required by Section 112 of the said Act,for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before specified period during office hours by the office of the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Room No. S 2-21, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur, shall be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. For rule 13, the following shall be substituted, namely :-

   "13. Public hearing .- Adequate publicity of public hearing organized for the purpose of Social Impact Assessment shall be done by giving in two daily news papers out of which atleast one shall be in local language of affected area."

2. In rule 16 and 17 respectively, for the word and figure "Rule 11", the word and figure "rule 15" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2016

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5 फरवरी, 2016 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014 दिनांक 5 फरवरी, 2016 के हिन्दी पाठ में,-

(एक) पृष्ठ क्रमांक 84 (1) की पंक्ति क्रमांक 6 में, "प चात्" को "पश्चात्" पढ़ा जाये.

(दो) पृष्ठ क्रमांक 84 (2) की पंक्ति क्रमांक 11 में, "नियम 15" को "नियम 18" पढ़ा जाये.

(तीन) पृष्ठ क्रमांक 84 (9) की पंक्ति क्रमांक 30 में, "वर्श" को "वर्ष" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.